रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल, 4, 1973/चैत्र 14, 1895
No. 82] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 1973/CHAITRA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April 1973

G.S.R. 195(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the enactments specified in column (1) of the Schedule hereto annexed, as in force in the State of Punjab at the date of this notification, subject to the modifications specified in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule.

THE SCHEDULE

Enactment	Modifications
(1)	(2)
1. The Punjab Gram Panchayat (Amendment) Act, 1971 (Punjab Act 7 of 1971).	1. In section 2, for the words, brackets and figures "In sub-section (1) of section 4 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (hereinafter referred to as the Principal Act)" the words, brackets and figures "In sub-section (1) of section 4 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952, as in force in the Union Territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act)" shall be substituted.

(1)	(2)
	2. In section 3, clause (*i*) shall be omitted.
	3. Sections 4, 5 and 6 shall be omitted.
2. The Punjab Gram Panchayat (Amendment) Act, 1972 (Punjab Act 3 of 1972).	1. In section 2, for the words, figures and brackets "In section 3 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (hereinafter referred to as the principal Act)", the words, figures and brackets "In section 3 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952, as in force in the Union territory of Chandigarh(hereinafter referred to as the principal Act)" shall be substituted.
	2. Section 6 shall be omitted.

ANNEXURE I

THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT) ACT, 1971 (PUNJAB ACT 7 OF 1971) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH.

An Act to amend the Punjab Gram Panchayat Act, 1952.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. *Short title.*—This Act may be called the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Act, 1971.

2. *Amendment of Section 4 of Punjab Act 4 of* 1953.—In sub-section (1) of section 4 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952, as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the Principal Act),—

(*i*) for the words "five hundred" the words "two hundred" shall be substituted; and

(*ii*) the second proviso shall be omitted.

3. *Amendment of Section 6 of Punjab Act 4 of* 1953.—In section 6 of the principal Act,—

(*i*) [Omitted];

(*ii*) in the first proviso to sub-section (4), for the figure "1970" the figure "1980" shall be substituted.

4. *Substitution of Section 9 of Punjab Act, 4 of* 1953.—[Omitted].

5. *Substitution of Section 95-A of Punjab Act 4 of* 1953.—[Omitted].

6. *Amendment of Schedule IV of Punjab Act 4 of* 1953.—[Omitted].

ANNEXURE II

THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT) ACT, 1972 (PUNJAB ACT 3 OF 1972) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH.

An Act to amend the Punjab Gram Panchayat Act, 1952.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Act, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment of Section 3 of Punjab Act 4 of 1953.*—In section 3 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952, as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), for clause (*g*), the following clause shall be substituted, namely :—

"(*g*) "Gram Panchayat" means the Gram Panchayat constituted under section 6;".

3. *Amendment of Section 6 of Punjab Act 4 of 1953.*—In section 6 of the principal Act, for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(1) Every Sabha shall, in the prescribed manner, elect from amongst its members a Chairman of the Sabha and Executive Committee consisting of such number of members not being less than five and more than eleven including the Chairman of the Sabha as the Government may determine taking into account of the population of the Sabha area :

Provided that if no woman is elected as a member of the Executive Committee, the worman candidate securing the highest number of votes amongst the woman candidates in that election shall be deemed to have been co-opted as a member of the Executive Committee and where no such woman candidate is available the prescribed authority shall co-opt in the prescribed manner a woman member of the Sabha who is qualified to be elected as a Panch.

(2) The Executive Committee teferred to in sub-section (1) shall be styled as the Gram Panchayat and the Chairman of the Sabha and members of the Executive Committee shall also be called the Sarpanch and Panches respectively of the Gra m Panchayat".

4. *Substitution of Section 9 of Punjab Act 4 of 1953.*—For section 9 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Oath and term of office of Panches and no confidence motion against them.

"9. (1) Before entering upon the duties of their offices, the Sarpanch and Panches shall take an oath in the form specified in Schedule IV.

(2) The Sarpanch and Panches shall hold office for a period of five years :

Provided that an outgoing Sarpanch or Panch shall, unless Government directs otherwise continue to hold office until his successor takes oath.

(3) An application regarding intention to move a motion of no-confidence against the Chairman of the Sabha or a member of the Executive Committee may be made to the Block Development and Panchayat Officer by a majority of not less than two-thirds of the total number of members of the Sabha ;

Provided that no such application shall be made unless a period of one year has elapsed from the date on which the Chairman or the member of the Executive Committee, as the case may be, assumed his office.

(4) The Block Development and Panchayat Officer, shall within a period of fifteen days of the receipt of application under sub-section (3), convene a meeting of the Sabha, for discussing and taking a decision on the no-confidence motion by giving seven clear days' notice of the meeting. Such a meeting shall be presided over by the Block Development and Panchayat Officer or such officer, not below the rank of Extension Officer, as may be authorised by the Block Development and Panchayat Officer in this behalf.

(5) If the no-confidence motion is carried in the meeting by a majority of not less than two-thirds of the total number of members of the Sabha, the Chairman or the member of the Executive Committee, as the case may be, shall be deemed to have been removed from his office ;

Provided that where a no-confidence motion is moved against the Chairman of the Sabha or the member of the Executive Committee, as the case may be, but is lost, another no-confidence motion shall not be moved against him for period of two years from the date on which the motion was lost."

5. *Substitution of Section 95-A of Punjab Act, 4 of 1953.*—For section 95-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Power of Government to direct holding of general elections of Chairman and Members of Executive Committees of Sabhas.

"95-A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, the Government may, by notification, direct that a general election of the Chairman and members of the Executive Committees of all Sabhas, and, where necessary, co-option of members of such Committees, shall be held and made by such date as may be specified in the notification :

Provided that different dates may be specified for election and co-option and for different Sabhas or groups thereof.

(2) As soon as a notification is issued under sub-section (1) the Deputy Commissioner and all other authorities concerned shall take all necessary steps for such election and co-option under and in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(3) The power of issuing a direction under sub-section (1) may be exercised by the Government from time to time so that a period of not less than five years shall intervene between any two consecutive general elections and the direction may include such Sabhas as well, the elections to the Executive Committees where of were held at any time after the general elections as at result of supersession or suspension of Gram Panchayat of such Sabha or due to any other cause, even if the period of five years has not intervened.".

6. *Amendment of Schedule IV of Punjab Act 4 of 1953.*—[Omitted].

[No. F. 15/3/71-UTL-(123)]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1973

सा० का० नि० 195 (अ).—पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन रहते हुए, उससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, एतद्द्वारा विस्तारित करती है ।

अनुसूची

अधिनियमिति	उपान्तरण
(1)	(2)
1. पंजाब ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम 1971 (1971 का पंजाब अधिनियम 7)	1. धारा 2 में "पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) में शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, 'चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) में" शब्द, कोष्ठक अंक और प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
	2. धारा 3 में, खण्ड (1) लुप्त किया जाएगा ।
	3. धारा 4, 5 तथा 6 का लोप किया जाएगा ।

(1)	(2)
2. पंजाब ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का पंजाब अधिनियम 3)	1. धारा 2 में, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में" शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 2. धारा 6 का लोप किया जाएगा ।

उपाबन्ध—I

चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित पंजाब ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का पंजाब अधिनियम 1)

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का नाम पंजाब ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1971 है ।

2. 1953 का पंजाब अधिनियम 4 की धारा 4 का संशोधन.—चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 उपधारा (1) में,—

(i) "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, "दो सौ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

3. 1953 का पंजाब अधिनियम 4 की धारा 6 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(i) लुप्त ।

(ii) उपधारा (4) के प्रथम परन्तुक में, "1970" अंक के स्थान पर , "1980" अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

4. 1953 का पंजाब अधिनियम 4 की धारा 9 का प्रतिस्थापन—लुप्त ।

5. 1953 का पंजाब अधिनियम 4 की धारा 95-क का प्रतिस्थापन—[लुप्त] ।

6. 1953 का पंजाब अधिनियम IV की अनुसूची IV का संशोधन—[लुप्त] ।

उपाबन्ध—II

चंडीगढ़ चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित पंजाब ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का पंजाब अधिनियम 3)

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम पंजाब ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1972 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. 1953 का पंजाब अधिनियम 4 की धारा 3 का संशोधन.—चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में तथा प्रवृत्त, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"(छ) "ग्राम पंचायत" से धारा 6 के अधीन गठित ग्राम पंचायत अभिप्रेत है ;"

3. 1953 का पंजाब अधिनियम 4 की धारा 6 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (1) और (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक सभा, विहित रीति में, अपने सदस्यों में से सभा का अध्यक्ष तथा सभा के अध्यक्ष को मिला कर पांच से अन्यून और ग्यारह से अनधिक सदस्यों की ऐसी संख्या की कार्यपालिका समिति निर्वाचित करेगी जैसा सभा क्षेत्र की जनसंख्या ध्यान में लेते हुए सरकार अवधारित करे :

परन्तु यदि कोई स्त्री कार्यपालिका समिति की सदस्या के रूप में निर्वाचित न कर दी गई हो, तो उस निर्वाचन में स्त्री उम्मीदवारों में से अधिकतम मत संख्या पाने वाली स्त्री उम्मीदवार कार्यपालिका समिति की सदस्या के रूप में संयोजित की गई समझी जाएगी और जहां कोई स्त्री उम्मीदवार उपलब्ध न हो, वहां विहित प्राधिकारी, विहित रीति में सभा की ऐसी स्त्री सदस्या को सहयोजित करेगा, जो पंच के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए अर्हित हो ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यपालिका समिति ग्राम पंचायत के रूप में कहलायी जायगी और सभा का अध्यक्ष तथा कार्यपालिका समिति के सदस्यों को ग्राम पंचायत के क्रमशः सरपंच और पंच भी कहलाया जाएगा ।"

4. 1953 का पंजाब अधिनियम 4 की धारा 9 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"9 (1) अपने पदों पर कर्त्तव्यारूढ़ होने के पूर्व, पंच अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में शपथ-ग्रहण करेंगे ।

सरपंच तथा पंचों के पद की शपथ और अवधि तथा उनके विरुद्ध अविश्वास- प्रस्ताव ।

(2) सरपंच तथा पंच अपना पद 5 वर्ष की अवधि के लिए धारण करेंगे :

परन्तु पद छोड़ने वाला सरपंच या पंच, जब तक सरकार अन्यथा निदेश न दे और जब तक उसका उत्तराधिकारी शपथ-ग्रहण न कर ले, तब तक अपने पद पर बना रहेगा ।

(3) सभा के अध्यक्ष या कार्यपालिका समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आशय सम्बन्धी आवेदन सभा की कुल सदस्य संख्या की दो-तिहायी से अन्यून की बहुसंख्या द्वारा खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी को किया जा सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आवेदन, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक यथा स्थिति, अध्यक्ष या कार्यपालिका समिति के सदस्य के अपना पद-ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि बीत न गयी हो ।

(4) खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, बैठक के बारे में पूरे सात दिन की सूचना देते हुए, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तथा विनिश्चय करने के लिए सभा की बैठक बुलाएगा । ऐसी बैठक की अध्यक्षता खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो विस्तार अधिकारी के रैंक से अन्यून न हो, जैसा कि खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी द्वारा इस निमित प्राधिकृत किया जाए ।

(5) यदि सभा की कुल सदस्य-संख्या की दो-तिहाई से अन्यून की बहुसंख्या द्वारा बैठक में अविश्वास-प्रस्ताव को पारित किया जाए, तो यथा स्थिति अध्यक्ष या कार्यपालिका समिति का सदस्य अपने पद से हटाया गया समझा जाएगा ;

परन्तु जहां यथा स्थिति सभा के अध्यक्ष या कार्यपालिका समिति के सदस्य के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, किन्तु पारित नहीं हुआ है, वहां उसके विरुद्ध दूसरा अविश्वास-प्रस्ताव, जिस तारीख पर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था उससे दो वर्ष की अवधि के लिए, प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।"

5. 1953 का पंजाब अधिनियम 4 की धारा 95क का प्रतिस्थापन .—मूल अधिनियम की धारा 95–क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात् :—

"95–क (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट सभा के अध्यक्ष तथा, अध्यक्ष तथा कार्यपालिका समितियों के सदस्यों का साधारण निर्वाचन करने के लिए निदेश देने के बारे में सरकार की शक्ति । किसी बात के होते हुए भी, सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि सभी सभाओं के अध्यक्ष तथा कार्यपालिका समिति के सदस्यों का साधारण निर्वाचन ऐसी तारीख तक होगा, और जहां आवश्यक हो वहां ऐसी समितियों के सदस्यों का सहयोजन, ऐसी तारीख तक किया जाएगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु निर्वाचन तथा सहयोजन के लिए तथा सभा या उसके विभिन्न समूहों के लिए विभिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करते ही, उपायुक्त तथा सम्बन्धित सभी प्राधिकारी, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा उनके अनुसार ऐसे निर्वाचन तथा सहयोजन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी करने की शक्ति समय समय पर, सरकार द्वारा, इस प्रकार प्रयुक्त की जा सकेगी ताकि किन्हीं दो क्रमवर्ती साधारण निर्वाचनों के बीच पांच वर्ष से अन्यून अवधि नहीं होगी तथा निदेश में ऐसी सभाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा जिनकी कार्यपालिका समितियों के निर्वाचन, ऐसी सभा की ग्राम पंचायत बरखास्त करने या निलम्बित करने या किसी अन्य कारण के परिणामस्वरूप साधारण निर्वाचन के पश्चात् किसी समय किए गए थे, यद्यपि पांच वर्ष की अवधि बीच में न होती हो।"

6. 1953 का पंजाब अधिनियम 4 की अनुसूची IV का संशोधन .—
[लुप्त] ।

[सं० फा० 15/3/71–यू०टी०एल० (123)]
के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973